केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मनिरका
नई दिल्ली – 110067

संचिका सं.CICOM/R/2018/00896 दिनांक 26.09.2018

सेवा में,

श्री के. डी. इन्साँ,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 03.09.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 12.09.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 13.09.2018 को प्राप्त हुआ, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है:-

बिंदु सं. 1 एवं 2	केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों सहित अन्य जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय – 3 का अवलोकन करें जो कि https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है ।
बिंदु सं. 3	वांछित सूचना अनुभाग अधिकारी (प्र0) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।
बिंदु सं. 4 एवं 5	वांछित सूचना अनुभाग अधिकारी (एम.आर.) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है ।
बिंदु सं. 6	सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (प्रदान की गई हो सूचना यदि), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को संबोधित प्रपत्र के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है । शिकायत पत्र के साथ भी उक्त दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है । विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 एवं 19 का अवलोकन करें जो कि https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है ।
बिंदु सं. 7	आयोग में प्रतिदिन केस या शिकायतों को निपटाने हेतु कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है ।
बिंदु सं. 8 एवं 10	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । सूचना आयुक्तों द्वारा अपील/शिकायत प्राप्त होने की तिथि के अनुसार वरीयता क्रम में मामले की सुनवाई की जाती है ।

---2/-

बिंदु सं. 9, 11, 13 एवं 14	वांछित सूचना उप-पंजीयक (सी.आर.-2) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी जिन्हें आपका आवेदन आर.टी.आई. – एम.आई.एस. द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया गया है।
बिंदु सं. 15	सूचना का अधिकार के बारे में जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें जो कि https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष – 011-26162290 पर की जा सकती है ।

टी.बी.जे.एस.राजप्पा 26/9/18

(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

प्रतिलिपि:-

1	श्रीमती सविता तलूजा, अनुभाग अधिकारी (प्र0) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी केन्द्रीय सूचना आयोग ।	बिंदु सं. 3	उक्त आवेदन दिनांक 19.09.2018 को आर.टी.आई.-एम.आई.एस. के द्वारा ऑलाइन अग्रसारित किया जा चुका है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।
2	श्री जीवन चंद्र, अनुभाग अधिकारी (एम.आर.) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी केन्द्रीय सूचना आयोग ।	बिंदु सं. 4 एवं 5	
3	श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक (सी.आर.-2) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी केन्द्रीय सूचना आयोग ।	बिंदु सं. 9, 11, 13 एवं 14	